न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-05, सुलतानपुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1954/2026

UPST010057022026

1- राजेन्द्र प्रसाद आयु लगभग 58 वर्ष सुत बृजलाल निवासी ग्राम झलियहवां अभियाकलां, थाना देहात कोतवाली, जिला सुलतानपुर।

-आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

-विपक्षी/अभियोगी।

उत्तर प्रदेश राज्य

सत्र परीक्षण संख्या-506/2013
मुकदमा अपराध संख्या-145/2021
अन्तर्गत धारा- 457, 380, 411, 307 भारतीय दण्ड संहिता
थाना कोतवाली देहात, जिला-सुलतानपुर।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद सुत बृजलाल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-145/2021, अन्तर्गत धारा- 457, 380, 411, 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली देहात, जिला-सुलतानपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी सक्षम न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का कत्तई कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी /अभियुक्त को किसी भी न्यायालय में कभी भी दोषसिद्ध एवं दण्डित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है तथा कथित अभियोग में मात्र प्रार्थी/अभियुक्त को हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी भविष्य में कोई गैर हाजिरी नहीं करेगा और श्रीमान् जी के सभी आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः प्रार्थी को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने की कृपा की जाये।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है।

4. प्रस्तुत मामले में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, आवेदक/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था, जमानतनामा व जमानत आदेश पत्रावली में संलग्न है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया है। न्यायालय की राय में उसे उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त दण्ड मिल चुका है। अभियुक्त दिनांक-24.05.2026 से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। अतः पुनः नये प्रतिभू प्रस्तुत करने पर आधार जमानत पर्याप्त है। फलस्वरूप जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है, तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद सुत बृजलाल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-145/2021, अन्तर्गत धारा- 457, 380, 411, 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली देहात, जिला-सुलतानपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 30,000/-रूपये (तीस हजार रूपये) का स्वबंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो सक्षम नवीन प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, जमानत पर मुक्त किया जाये।

sd/-

(राकेश)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-05, सुलतानपुर
J.O. Code-UP1701

दिनॉक-24.06.2026

ANUJ KUMAR
(STENO)